न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या 88/2018 दावा

निर्णय दिनांक :– 27.03.19

उनवानी दावा :–

मन्जू देवी पत्नी श्याम सुन्दर शर्मा जाति ब्राहमण निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज.

–वादीया–

बनाम

1. गीता देवी पत्नी कृष्ण गोपाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बहलडी पोस्ट चारनेट तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
2. रामप्रसाद स्व0 माता बृज देवी पुत्र बंशीधर शर्मा जाति ब्राहमण निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
3. शिवप्रसाद स्व0 माता बृज देवी पुत्र बंशीधर शर्मा जाति ब्राहमण निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
4. बालकिशन स्व0 माता बृज देवी पुत्र बंशीधर शर्मा जाति ब्राहमण निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
5. सीता स्व0 माता बृज देवी पुत्र बंशीधर शर्मा जाति ब्राहमण निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
6. गीता स्व0 माता बृज देवी पुत्र बंशीधर शर्मा जाति ब्राहमण निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
7. जगदीशी स्व0 माता बृज देवी पुत्र बंशीधर शर्मा जाति ब्राहमण निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
8. बालकिशन पुत्र बंशीधर शर्मा जाति ब्राहमण निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
9. सरस्वती पुत्री छगनलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
10. बालमुकन्द पुत्र श्री रामनिवास शर्मा जाति ब्राहमण निवासी चन्दवाड तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
11. मोतीशंकर पुत्र कैलाशचन्द्र शर्मा जाति ब्राहमण निवासी गोगीनाडा रोड़ दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
12. राजाराम पुत्र कैलाशचन्द्र शर्मा जाति ब्राहमण निवासी गोगीनाडा रोड़ दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
13. गौतम पुत्र कैलाशचन्द्र शर्मा जाति ब्राहमण निवासी गोगीनाडा रोड़ दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
14. कृष्णमुरारी पुत्र कैलाशचन्द्र शर्मा जाति ब्राहमण निवासी गोगीनाडा रोड़ दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
15. भगवान पुत्र कैलाशचन्द्र शर्मा जाति ब्राहमण निवासी गोगीनाडा रोड़ दूनी तहसील

दूनी जिला टोंक (राज.)
16.रूकमणी पुत्री कैलाशचन्द्र शर्मा जाति ब्राहमण निवासी गोगीनाडा रोड़ दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
17.गिरीजा पुत्री कैलाशचन्द्र शर्मा जाति ब्राहमण निवासी गोगीनाडा रोड़ दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.
18.तहसीलदार देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत तकासमा आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :–
श्री आर. एन. तुनगारिया
अधिवक्ता वादीगण

एकतरफा कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादीगण

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया एवं प्रतिवादी नं. 1 ता 17 की सयुंक्त खातेदारी व कब्जों की भूमि खसरा नम्बर 2447 रकबा 0.20 है0 वाके दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। जिसमें वादीया का हिस्सा 1228/8000 है शेष हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 ता 17 का है जिस पर मौके पर हिस्सेनुसार वादीया व प्रतिवादीगण काबिज है। उक्त सयुंक्त भूमि पूर्व में विधिंवत विभाजन नही हुआ है वादिया व प्रतिवादीगण हिस्सेनुसार काबिज है। मौके पर विभाजन भी कर रखा है। किन्तु राजस्व रिर्काड में विभाजन नही होने के कारण उक्त भूमि का लगान जमा कराने विवाद होने लगा है। तब वादीया ने प्रतिवादीगण को उक्त सयुंक्त भूमि का सहमति से विभाजन करवाने के लिए कहने पर प्रतिवादीगण सहमत नही हुये है इस कारण वादीया उक्त सयुंक्त भूमि मे से अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवाकर अलग से खाता कायम करवाना चाहती है। ताकी पक्षकारान में लगान जमा कराने को लेकर भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नही हो पाये इस कारण वादीया वाद पत्र पेश है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में बृजदेवी पत्नि बंशीधर इन्द्राज है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिसान प्रतिवादी नम्बर 2 ता 7 है। एवंम इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में कैलाशचन्द्र पुत्र जगन्नाथ इन्द्राज है जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिसान प्रतिवादी नम्बर 11 ता 17 है। इस कारण मृतकों के वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। बिनाय दावा हाल ही पैदा हुआ जब वादीया द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त सयुंक्त भूमि का सहमति से विभाजन के लिए कहने पर मना करने व सहमत नही होने से उत्पन्न हुआ है जो लगातार जारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी गण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई और प्रकरण को साक्ष्यवादी में नियत किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता वादी ने वादीया के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। प्रदर्श डलवाये गये। प्रकरण बहस में मुकर्रर किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादीया उक्त संयुक्त भूमि में से अपने हिस्से की भूमि का अलग से विभाजन करवाकर अलग खाता कायम करना चाहती है ताकि भविष्य में पक्षकारान के मध्य लगान जमा कराने में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो। अतः वादवर्णित आराजियात में वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य वर्णित हिस्से के अनुसार मौके पर विधिवत तकासमा करवाया जाकर रिकॉर्ड पृथक–पृथक करवाया जावे ।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्य, बहस अवलोकन व मनन करते हुए तथ्यों को देखा गया जमाबंदी संम्वत 2070–73 के अनुसार वादीया व प्रतिवादीया उक्त भूमि पर सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है तथा वादवर्णित आराजियात में वादीया का 2228/8000 हिस्से की रिकॉर्डेड खातेदार होने के कारण अपने हिस्से की भूमि का विभाजन कराने की हकदार है। अतः वादीया का 2228/8000 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के मध्य उनके हिस्सेनुसार भूमि में विभाजन हेतु एकतरफा प्राथमिक डिक्री पारित की जाती है। अतः तहसीलदार दूनी को अच्छी से अच्छी तथा बुरी से बुरी भूमि में से बंटवारे के सिद्धान्त के आधार पर तथा कब्जेकाश्तानुसार भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार देवली पक्षकारो के मध्य राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्सेनुसार राजस्थान काश्तकरी अधिनियम 18 से 21 के प्रावधानानुसार भूमि विभाजन हेतु पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय को प्रेषित करे। उक्तानुसार डिक्री तहरीर हो और प्रमाणित डिक्री की प्रति तहसीलदार दूनी को तहरीर के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रकरण बईन्तजार कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक १०.५.१९ को पेश हो।

प्राथमिक निर्णय डिक्री आदेश दिनांक 27.03.19 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली